संख्या– /XXIV(7)/2017–42(2)/08

प्रेषक,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 08 नवम्बर, 2017

विषयः–वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनजाति क्षेत्र उप योजना के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री बजट/8645/2017–18, दिनांक 15.09.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनजाति क्षेत्र उप योजना के अर्न्तगत राज्य के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थित राजकीय महाविद्यालयों में संलग्न सूची अनुसार निम्नलिखित मदों में रु0 9.90 लाख (रु0 नौ लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्रं0सं0	लेखाशीर्षक	स्वीकृत धनराशि (रू0 लाख में)
1	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.30
2	26–मशीनें और साज–सज्जा/उपकरण और संयंत्र	3.30
3	42–अन्य व्यय	3.30
	योग	**9.90**

2– स्वीकृत धनराशि को जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय पर व्यय नहीं किया जायेगा एवं अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा तथा समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत योजनाओं पर ही नियोजन विभाग द्वारा आवंटित परिव्यय की सीमा के अर्न्तगत ही किये जाने का दायित्व विभाग का होगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा, धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगाः–

(1) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(2) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैन्युवल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

(3) आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इसी प्रकार व्यय के सम्बन्ध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाये।

(4) मितव्ययता के सम्बन्ध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

..................2/

(5) व्यय सम्बन्धी जो भी बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उनमें लेखाशीर्षक के साथ–साथ अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

(6) फर्नीचर, उपकरण एवं कम्प्यूटर आदि का कय हेतु प्रोक्योरमेंट रुल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय व्यय सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का अनुपालन करते हुये पूर्व अनुपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुये नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) आहरण से पूर्व विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण निर्धारित परिव्यय की सीमा के अर्न्तगत ही है तथा मानक मद 26 एवं 42 हेतु स्टोर क्रय नियमों का आवश्यक रुप से पालन किया जाना होगा।

(9) उक्त धनराशि का आवंटन महाविद्यालयों को किये जाने से पूर्व, महाविद्यालयों में पूर्व में उपलब्ध फर्नीचर/उपकरण/मशीन संयत्र आदि के विवरण के क्रम में वर्तमान में वांछित उपकरण ही क्रय किये जायं।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–31 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना–03–महाविद्यालयों का सुदृढीकरण के अधीन उपरोक्त प्रस्तर–1 के व्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 30 जून, 2017 में निर्गत निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

सं0 768 (1)/XXIV(7)/2017–42(2)/08 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3–वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4–निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
5–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
6–वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
7–विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या- 768 /XXIV(7)/2017-42(2)/08 दिनांक 08 नवम्बर, 2017 का संलग्न।

(धनराशि रू0 हजार में)

क्र0 सं0	महाविद्यालय का नाम	12 कार्या0 फर्नीचर एवं उपकरण	26 मशीन साज-सज्जा उपकरण एवं संयंत्र	42 अन्य व्यय (पुस्तक कय हेतु)	योग
1	रा0 महा0 मुनस्यारी	45	45	50	140
2	रा0 महा0 बलुवाकोट	35	40	30	105
3	रा0 महा0 खटीमा	65	70	80	215
4	रा0 महा0 जोशीमठ	40	45	50	135
5	रा0 महा0 चकराता	40	25	20	85
6	रा0 महा0 डाकपत्थर	60	65	50	175
7	रा0 महा0 त्यूनी	45	40	50	135
	योग	**330**	**330**	**330**	**990**

(शिवस्वरूप त्रिपाठी)
अनु सचिव।